

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारंकित प्रश्न सं. 1237
उत्तर देने की तारीख 11.02.2019

पी०एम०ई०जी०पी० के अंतर्गत सहायता

1237. श्री एस० पी० मुद्दाहनुमे गौडा:
श्री जी० एम० सिद्धेश्वरा:
श्री बी० वी० नाईक:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी०एम०ई०जी०पी०) ऋणों को स्वीकृत करने की प्रक्रिया में विलंब से ग्रस्त है और पी०एम०ई०जी०पी० के अंतर्गत रोजगार के विकास में विगत वर्षों के दौरान लगातार कमी आ रही है तथा यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान पी०एम०ई०जी०पी० के अंतर्गत सृजित किए गए रोजगारों की संख्या/हासिल किए गए विकास सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) उक्त अवधि के दौरान पी०एम०ई०जी०पी० के अंतर्गत कर्नाटक के लिए स्वीकृत किए गए ऋण की धनराशि कितनी है और राज्य में सृजित किए गए रोजगार की संख्या कितनी है;
- (घ) क्या विगत वर्षों में पी०एम०ई०जी०पी० के अंतर्गत सहायता की गई इकाइयों की संख्या में वृद्धि हो रही है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान कितनी इकाइयों को सहायता दी गई है तथा कितनी मात्रा में अंतर मूल्य का उपयोग किया गया है और कितने रोजगार का सृजन किया गया है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख): जी, नहीं। आवेदन प्रवाह और निधि प्रवाह की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा बेहतर वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता लाने और नोडल बैंक स्तर पर निधि की पार्किंग को रोकने के लिए एक ऑनलाइन पीएमईजीपी-एमआईएस वेब पोर्टल शुरू किया गया है। सभी आवेदनों और निधि प्रवाह की निर्धारित समय-सीमा में ऑनलाइन कार्यवाही की जाती है।

पीएमईजीपी के अंतर्गत ऋण आवेदनों की जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति (डीएलटीएफसी) में जाँच और कार्रवाही की जाती है। डीएलटीएफसी द्वारा सिफारिश किए गए आवेदनों को बैंकों को अग्रेषित किया जाता है। पीएमईजीपी के अंतर्गत ऋण स्वीकृति के लिए प्रत्येक परियोजना की व्यवहारिकता के आधार पर बैंकों को अपने ऋण पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई है।

डीएलटीएफसी को 45 दिनों के भीतर आवेदन क्लियर करने पड़ते हैं। डीएलटीएफसी स्तर पर विलम्ब की स्थिति में, बैंक सीधे आवेदन ले सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार ऋण आवेदन की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर सूक्ष्म क्षेत्र ऋण की स्वीकृति के लिए बैंक अधिदेशित हैं। तथापि, संतोषजनक जांच के करने के लिए बैंक एक आवेदन पर कार्यवाही के लिए प्रायः 30 दिन से अधिक समय लेते हैं।

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ऑनलाइन केवीआईसी द्वारा संवितरित की गई मार्जिन मनी और सृजित रोजगार एवं स्थापित परियोजनाओं की संख्या का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है। ब्यौरा दर्शाता है कि मार्जिन मनी सब्सिडी संवितरण में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य में पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या और स्वीकृत ऋण की राशि निम्नानुसार है:

वर्ष	कर्नाटक		
	स्वीकृत (अनुमानित) (लाख रु. में)	ऋण सहायता प्राप्त परियोजनाओं/लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या	सृजित रोजगार के अवसरों की संख्या
2015-16	15924.63	2140	17284
2016-17	22957.69	3575	30286
2017-18	29530.33	2115	16920
2018-19 (दिसम्बर, 2018 तक)	5293.75	2198	17584

(घ) और (ङ): पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या बजटीय आबंटन और परियोजना की औसत लागत पर निर्भर करती है। वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 में परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि हुई। वर्तमान वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पीएमईजीपी के लिए बजटीय आबंटन में वृद्धि हुई है और तदनुसार परियोजनाओं की संख्या में भी वृद्धि होगी। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सृजित रोजगार और प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी, सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

दिनांक 11.02.2019 के उत्तर के लिए लोक सभा अंतरांकित प्रश्न सं.1237 के भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-1

विगत तीन वर्षों के दौरान सृजित रोजगार और प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी, सहायता प्राप्त इकाइयों का राज्यवार ब्यौरा

(मार्जिन मनी लाख रु. में, परियोजना एवं रोजगार की सं.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16			2016-17			2017-18			2018-19		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाएं	मार्जिन मनी	रोजगार									
1	जम्मू और कश्मीर	2207	3781.19	12115	1492	2621.40	11691	3753	6913.15	30024	4662	9222.2	37296
2	हिमाचल प्रदेश	1077	1767.26	5134	941	2185.27	6916	886	2042.54	7088	947	2650.96	7576
3	पंजाब	966	2902.97	7762	1266	3181.60	9858	1520	3930.46	12160	1234	3091.08	9872
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	43	87.72	323	47	82.84	376	45	90.07	360	18	45.86	144
5	हरियाणा	1248	3112.09	7232	1377	3383.53	11016	1718	4167	13744	1466	3528.18	11728
6	दिल्ली	256	254.05	2048	119	182.41	952	115	150.65	920	65	85.67	520
7	राजस्थान	1988	4384.07	14537	1749	4641.60	13408	1577	4929.04	12616	1543	4638.33	12344
8	उत्तराखण्ड	1136	1740.86	6161	1345	2122.33	9890	1613	2880.98	12904	1501	2851.18	12008
9	उत्तर प्रदेश	4365	14456.87	43059	4074	14271.05	36315	5432	16866.47	43456	3911	14014.6	31288
10	छत्तीसगढ़	1277	2829.38	9496	1598	4070.73	12856	1463	3398.4	11704	1984	4384.17	15872
11	मध्य प्रदेश	1979	8117.17	16497	1940	8346.06	15520	1804	7631.41	14432	1424	5898.67	11392
12	सिक्किम	110	186.11	397	27	35.93	201	37	46.36	296	35	64.93	280
13	अरुणाचल प्रदेश	35	38.85	104	301	440.34	1984	209	309.42	1672	197	285.61	1576
14	नागालैण्ड	623	1392.81	4998	1018	2007.48	7783	930	2672.15	7440	540	1199.24	4320
15	मणिपुर	685	1213.98	2715	1265	2162.78	8419	600	1383.87	4800	688	1087.78	5504
16	मिजोरम	1134	1026.35	9072	425	491.96	3400	249	274.05	1992	529	721.52	4232
17	त्रिपुरा	642	945.84	5355	2297	3734.66	17961	1116	1892.3	8928	429	891.6	3432
18	मेघालय	603	1056.12	4824	329	407.89	2632	75	118.27	600	203	305.24	1624
19	असम	3483	2869.74	9026	6028	4910.36	31498	2282	2362.48	18256	2376	2503.55	19008
20	बिहार	2430	6588.55	19624	3234	8336.51	25872	2307	6558.85	18456	1712	5178.06	13696
21	प.बंगाल	1873	3400.65	12746	3528	6270.32	26604	1366	3891.37	10928	1655	4980.75	13240

22	झारखण्ड	1839	3559.74	12873	1300	2654.35	10400	1111	2439.53	8888	860	2191.38	6880
23	ओडिशा	2876	5736.32	17629	3029	6848.96	20392	2399	5680.65	19192	1848	4639.29	14784
24	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	119	65.11	293	195	193.46	1398	218	276.95	1744	146	192	1168
25	गुजरात	1419	6339.73	14960	1386	7561.61	11629	1876	12883.63	15008	2283	16249.62	18264
26	महाराष्ट्र	2497	5285.03	20161	2325	6001.36	17799	3329	8749.73	26632	3558	9397.88	28464
27	गोवा	91	165.43	500	90	191.44	660	50	149.07	400	47	159.3	376
28	आंध्र प्रदेश	642	2262.37	7740	1357	4916.08	14148	1527	5336.1	12216	1441	6027.95	11528
29	तेलंगाना	660	2217.57	7761	664	2561.72	6445	1190	4030.21	9520	1214	4206.22	9712
30	कर्नाटक	2140	5898.01	17284	3575	11609.56	30286	2115	6477.94	16920	2438	7170.95	19504
31	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0
32	केरल	1369	2720.48	9653	1584	3350.68	13068	1347	2910.44	10776	1628	3450.69	13024
33	तमिलनाडु	2463	5497.54	20836	2941	8213.92	25764	4095	9717.58	32760	3398	8882.98	27184
34	पुडुचेरी	65	106.37	447	66	103.65	699	44	78.95	352	55	108.49	440
	कुल	44340	102006.33	323362	52912	128093.84	407840	48398	131240 .07	387184	46035	130305.9	368280